बिहार स्टेट फूड़ एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, लि0,

"खाद्य भवन", दारोगा राय पथ,आर0ब्लॉक, रोड नं0 2, पटना 800001

कार्यालय आदेश

आंतरिक जॉच प्रतिवेदन दिनांक 24.06.18 के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2016–17 औरंगाबाद जिलान्तर्गत विभिन्न सी0एम0आर0 गोदामों में 48130.55 क्वीं0 सी0एम0आर0(चावल) जिसका सन्निहित मूल्य 13,42,48,136.00 (तेरह करोड़ बयालिस लाख अड़तालिस हजार एक सौ छतीस)रू0 है, के गबन प्रतिवेदित किए जाने के आलोक में श्री मनीष कुमार, तत्कालीन लेखापाल–सह–प्रभारी सहायक लेखा पदाधिकारी को अपने कार्यो में लापरवाही एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता संबंधी आरोप के लिए निगम मुख्यालय ज्ञापांक 7074 दिनांक 13.07.18 एवं ज्ञापांक 7574 दिनांक 24.07.18 के द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

सहायक लेखा पदाधिकारी की जबाबदेही है कि गोदामों के अभिलेखों को ससमय माहवार परफोरेटेड सीट प्राप्त कर इसकी जॉच ससमय की जाय, लेकिन श्री कुमार द्वारा प्रथम द्रष्टया ऐसा नहीं किया गया, जिससे निगम को इतनी बड़ी आर्थिक क्षति हुई। इस प्रकार श्री कुमार के विरूद्ध अपने कार्यो में लापरवाही एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता संबंधी आरोप के लिए निगम मुख्यालय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 9879 दिनांक 22.09.18 के द्वारा निलंबित करते हुए आरोप पत्र गठित कर आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों के लिए निगम के सर्विस कंडक्ट एण्ड डिसीप्लीनरी रूल्स के नियम 28(ii) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लेते हुए निगम मुख्यालय कार्यालय आदेश ज्ञापांक 10539 दिनांक 09.10.18 के द्वारा संचालन पदाधिकारी तथा उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त अपना जॉच प्रतिवेदन दिनांक 30.06.20 को समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध लगाया गया आरोप, यथा अपने कार्यो में लापरवाही एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता संबंधी आरोप, अंशतः प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष निम्न प्रकार है–

आरोप– अपने कार्यो में लापरवाही एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता संबंधी आरोप।

निष्कर्ष– "हालाँकि आंतरिक जाँच प्रतिवेदन में श्री मनीष कुमार, सहायक लेखापाल का नाम कहीं नहीं आया है, किन्तु उक्त जाँच प्रतिवेदन में ही यह वर्णित है कि R.O. पंजी के अनुसार CMR के उठाव हेतु 48130.55 क्वीं0 CMR अवशेष था, जबकि दूसरी ओर ज़िला प्रबंधक, औरंगाबाद के पत्रांक 109 दिनांक–01.12.18 द्वारा शत–प्रतिशत CMR उठाव हो जाने अर्थात उठाव हेतु लंबित CMR की मात्रा शून्य होने संबंधी प्रतिवेदन जिस Form-c के जरिये निगम मुख्यालय, पटना भेजा गया था। उस फार्म Form-c पर 01.02.18 की तिथि में श्री मनीष कुमार का भी हस्ताक्षर है। यह तो सर्वविदित है कि R.O. पंजी का संधारण लेखापाल द्वारा ही किया जाता है।

इस प्रकार एक तरफ R.O के आधार पर 48,130.55 क्वीं0 CMR उठाव हेतु शेष बताना और दूसरी तरफ Form-c के आधार पर उठाव हेतु शेष CMR की मात्रा शून्य

अंकित करना एक दूसरे के बिलकुल उलट/प्रतिकूल है। इस आधार पर आरोप अंशतः प्रमाणित होता है।"

श्री कुमार के विरूद्ध प्रमाणित उक्त आरोप के लिए निगम मुख्यालय पत्रांक 6027 दिनांक 17.07.20 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। पुनः पत्रांक 6410 दिनांक 07.08.20 के द्वारा स्मारित किया गया। श्री कुमार द्वारा अपना द्वितीय कारण पृच्छा दिनांक 25.08.20 को समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि 4 जी0 आईडेन्टीटी शौल्युंशन के ऑन लाईन प्रतिवेदन के आलोक में कार्यपालक सहायक द्वारा FORM C तैयार कर दैनिक प्रक्रिया को अपनाते हुए लेखापाल एवं अपर जिला प्रबंधक, अधिप्राप्ति से हस्ताक्षर कराकर जिला कार्यालय के पत्रांक 109 दिनांक 01.12.18 के द्वारा निगम मुख्यालय पटना को Form C भेजा गया।श्री कुमार ने यह कहा है कि Form C का सत्यापन लेखापाल के द्वारा आर0ओ0 के अद्यतन होने के बाद ही किया जा सकता है और दैनिक प्रतिवेदन आर0ओ0 पंजी के आधार पर नहीं बनाया जाता है, क्योंकि आर0ओ0 पंजी का अद्यतन अगले माह के 10 से 15 तारीख तक किया जाता है।

वस्तुतः तथ्य यह है कि Form C दिनांक 01.02.18 निगम मुख्यालय को भेजा गया। उक्त की जॉच लेखापाल श्री कुमार द्वारा दिनांक 10.02.18 को किया गया एवं आर0ओ0 पंजी का अद्यतन करने के बाद पाया गया कि 48130.55 क्वीं0 CMR की प्रविष्टि TPDS गोदाम से प्राप्त आगत पंजी के परफोरेटेड सीट में नहीं है। Form-c जिसके द्वारा CMR शून्य होने की सूचना मुख्यालय को दी गई है, उस पर श्री मनीष कुमार का हस्ताक्षर अंकित है। अतः लेखापाल की यह जिम्मेवारी है कि उसे अपने स्तर से जॉच कर लें। जहॉ एक तरफ श्री कुमार आर0ओ0 पंजी के आधार पर 48,130.55 क्वीं0सी0एम0आर0 उठाव हेतु शेष बताते है वहीं दूसरी ओर दिनांक 01.02.18 के Form-c पर उठाव हेतु CMR मात्रा शून्य बताते है। इस प्रकार दोनों ही प्रतिवेदन एक दूसरे के विपरीत है।

स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा जो Form-c मुख्यालय को भेजा गया है उसमें औरंगाबाद जिलान्तर्गत खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2016–17 में CMR की मात्रा को शून्य अंकित किया गया है। वही दूसरी तरफ आर0ओ0 पंजी के आधार पर CMR के उठाव हेतु 48130.55 क्वीं0 अवशेष बताया गया है, जो गबन को प्रमाणित करता है। श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य/तथ्य नहीं प्रस्तुत किया गया, जिससे यह साबित हो सके कि इनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ससमय किया गया है। अतः श्री कुमार की द्वितीय कारण पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है।

इस प्रकार संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं आरोपी सेवक श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त स्पष्ट है कि श्री कुमार द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया। यदि इनके द्वारा अपने दायित्वों का ससमय निर्वहन किया जाता तो निगम को इतनी बड़ी मात्रा में हुई आर्थिक क्षति नहीं होती। इस प्रकार खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2016–17 में औरंगाबाद जिलान्तर्गत सी0एम0आर0 गोदामों में 48,130.55क्वीं0 सी0एम0आर0 (चावल)जिसका सन्निहित मूल्य 13,42,48,136.00(तेरह

करोड़ बयालिस लाख अड़तालिस हजार एक सौ छतीस)रू0 है, के गबन में श्री कुमार द्वारा अपने कार्यो में लापरवाही एवं दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता प्रमाणित है।

निगम एक व्यापारिक संस्था है जिसके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों का उठाव एवं वितरण की जिम्मेवारी निभायी जाती है। इसके सभी स्तर के कार्मिको से उच्च स्तर की ईमानदारी की आशा की जाती है। ऐसे लापरवाह, शिथिल एवं कर्तव्यहीन कार्मिक के निगम में रहने से निगम के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है। श्री मनीष कुमार के इस आचरण के कारण इन्हें निगम की सेवा में रखने से निगम के उद्देश्य की पूति नहीं हो सकती है।

उपरोक्त के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में श्री मनीष कुमार, तत्कालीन लेखापाल,राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद सम्प्रति जमुई के विरूद्ध निम्नलिखित दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है–

1. श्री कुमार के विरूद्ध आरोप प्रमाणित है, जो सेवा शर्त का पूर्ण उल्लंघन एवं एक बड़ी सरकारी राशि के गबन का मूल कारण है। समीक्षोपरान्त निगम के सर्विस कंडक्ट एण्ड डिसिप्लीनरी रूल्स की धारा 27(iv) के तहत श्री कुमार को उक्त प्रमाणित आरोप के लिए तत्कालिक प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।
2. श्री कुमार के निलंबन अवधि दिनांक 22.09.2018 से 07.06.2020 तक के अवधि को जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

ह0/–

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक :3:02:313:01:2018: 4099 दिनांक – 15-06-21

प्रतिलिपि–श्री मनीष कुमार, तत्कालीन लेखापाल,राज्य खाद्य निगम,औरंगाबाद सम्प्रति जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम, जमुई/औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला प्रबंधक, जमुई को निदेशित है कि उक्त शास्ति की प्रविष्टि इनके सेवापुस्त में की जाय।

प्रतिलिपि–सभी उप महाप्रबंधक, सतर्कता पदाधिकारी निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी महाप्रबंधक,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–सभी मुख्य महाप्रबंधक,निगम मुख्यालय,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–प्रभारी कन्ट्रॉल रूम, निगम मुख्यालय को आदेश की प्रति निगम बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि–अपर सचिव,खाद्य एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग,बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रबंध निदेशक

June- 21